

भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 231
दिनांक 02.12.2025 को उत्तरार्थ

मेरी पंचायत ऐप

231. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संचालित 'मेरी पंचायत ऐप' पर देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त निधि और उसके उपयोग की जानकारी उपलब्ध है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मेरी पंचायत ऐप पर दमन और दीव में स्थित पंचायतों की निधि से संबंधित जानकारी उपलब्ध है;

(ग) यदि हाँ, तो विगत पाँच वर्षों के दौरान दमन और दीव जिलों सहित प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए आवंटित, स्वीकृत और उपयोग की गई निधि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस जानकारी को न रखने के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा यह जानकारी उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) जी हाँ। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित 'मेरी पंचायत' मोबाइल एप्लिकेशन सभी राज्यों में ग्राम पंचायतों को प्राप्त निधि और उसके उपयोग के बारे में पंचायत-वार जानकारी प्रदान करता है। यह एप्लिकेशन राज्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले ई-ग्रामस्वराज-ट्रेजरी एकीकरण और ई-ग्रामस्वराज-पीएफएमएस इंटरफेस से डेटा लेता है, जिससे पंचायतों से संबंधित वित्तीय जानकारी लगभग वास्तविक समय में मिल पाती है।

(ख) जी नहीं। केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव में स्थित पंचायतों को प्राप्त निधि और उसके उपयोग से संबंधित जानकारी मेरी पंचायत ऐप पर उपलब्ध नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केंद्र शासित प्रदेश, पंचायती राज संस्थाओं के लिए सीधे गृह मंत्रालय (एमएचए) से निधि प्राप्त करते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की पंचायतों को गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई ऐसी निधियों को जारी करने, ट्रैकिंग या रिपोर्टिंग में पंचायती राज मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं है। तदनुसार, दमन और दीव सहित केंद्र शासित प्रदेशों की ग्राम पंचायतों के वित्तीय डेटा को ई-ग्रामस्वराज-ट्रेजरी या ई-ग्रामस्वराज-पीएफएमएस इंटरफेस के माध्यम से कैप्चर नहीं किया जाता है, और इसलिए मेरी पंचायत ऐप पर प्रतिबिंबित नहीं होता है।

मंत्रालय संस्थागत व्यवस्थाओं और अधिकार-क्षेत्रीय दायित्वों के अधीन, पंचायतों की वित्तीय जानकारी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु संभावित तंत्रों का परीक्षण करने के लिए संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श करता है।
